न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहगढ़,
जिला – राजगढ़ (म.प्र.)

BA No.261/2022

अ0 क0– 555/2022
धारा–341, 354, 354(क),
354(घ), 506, 34 भादवि,
एवं धारा–8, 12 लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
थाना–नरसिंहगढ़
जिला–राजगढ़ म.प्र.

फरमान उर्फ अहद पिता–हफीज खां, आयु–20 वर्ष,
निवासीः जामा मस्जिद के पास, लेन मोहल्ला,
नरसिंहगढ़, तहसील–नरसिंहगढ़,
जिला–राजगढ़, म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा
थाना प्रभारी, पुलिस थाना–नरसिंहगढ़,
जिला राजगढ़ (मध्य प्रदेश) ..... अभियोगी

आदेश

(दिनांक 01/10/2022)

आवेदक द्वारा श्री शकेब अली अधिवक्ता।
राज्य द्वारा श्री मनोहर मण्डलोई अपर लोक अभियोजक।
पीड़िता एवं उसके माता–पिता उपस्थित।

प्रकरण आवेदक फरमान उर्फ अहद की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर सुनवायी हेतु नियत है।

थाना–नरसिंहगढ़ से अप0क0–555/2022 अंतर्गत धारा–341, 354, 354(क), 354(घ), 506, 34 भादवि, एवं धारा–8, 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त है।

पीड़िता के पिता द्वारा प्रतिभूति आवेदनपत्र पर कोई आपत्ति नहीं होने विषयक आवेदनपत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिलिपि अभियोजन पक्ष को दिलायी गई।

आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

न्यायालय की रिमाण्ड पत्रावली एवं केस डायरी मय प्रतिवेदन का परिशीलन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन

पत्र इस प्रकार है कि उसका अपराध से कोई वास्ता नहीं है। उसके पिता का देवावसान हो चुका है। उस पर अपनी माता व परिजनों की जिम्मेदारी है। पुताई का कार्य कर परिवार का भरणपोषण करता है। प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगेगा। परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके फरार होने की संभावना नहीं है। कहीं भागेगी नहीं, न साक्ष्य को प्रभावित करेगा। आवेदक को प्रतिभूति का अनुतोष दिया जाये।

प्रतिभूति आवेदनपत्र के समर्थन में आवेदक के भाई शाबाज अंसारी पिता हफीज खां, आयु–27 वर्ष, निवासीः जामा मस्जिद के पास, लेन मोहल्ला नरसिंहगढ़, थाना–नरसिंहगढ़, जिला–राजगढ़, (म0प्र0) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का **प्रथम** जमानत आवेदन पेश किया है। किसी भी सक्षम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो लंबित है और न निराकृत हुआ है।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि पीड़िता द्वारा स्कूल प्रशासन से सहअभियुक्तगण की शिकायत की गई थी, जिस पर स्कूल प्रशासन के कहने पर आवेदक एवं सहअभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गई है। आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। पीड़िता के माता–पिता द्वारा आवेदनपत्र पर कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया है। पीड़िता के पिता द्वारा मय शपथपत्र प्रतिभूति आवेदनपत्र पर कोई आपत्ति नहीं होने विषयक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदक को प्रतिभूति का अनुतोष दिया जाये।

अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया कि आवेदक एवं सहअभियुक्तगण पर पीड़िता के साथ लैंगिक आशय से शारीरिक संपर्क कर लैंगिक हमला करने और लैंगिक उत्पीड़न करने के गंभीर प्रकृति के अभियोग हैं। सहअभियुक्तगण की गिरफ्तारी होना शेष है। पीड़िता एवं उसके माता–पिता पर दबाव बनाकर राजीनामा कराया जा रहा है, जिससे साक्ष्य को प्रभावित किया जाना स्पष्ट है। वर्तमान में नरसिंहगढ़ क्षेत्र में बालकों पर लैंगिक हमले के अपराधों में वृद्धि हो रही है। आवेदक को प्रतिभूति का अनुतोष दिया गया तो इस प्रकृति का अपराध करने वाले लड़कों के होंसले बुलंद होंगे। समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अतः आवेदक का आवेदनपत्र निरस्त किया जाये।

फरियादिया/पीड़िता द्वारा थाना–नरसिंहगढ़ में रिपोर्ट लेख कराई गई कि सहअभियुक्त हासीब शाह उसके दोस्त सहअभियुक्त अयान खां, बिलाल और आवेदक अहम परेशान करते हैं। चारों अभियुक्त उसका पीछा करते हैं। स्कूल जाती है तब बाजार में उसका पीछा करते हैं। अभियुक्तगण से परेशान हो गई हैं। जुलाई माह में एक दिन वह और उसकी बहन घर से स्कूल जा रहे थे तब पुरानी कोतवाली के पास सहअभियुक्त हसीब, अयान, बिलाल एवं आवेदक ने मिलकर उसका रास्ता रोक लिया और सहअभियुक्त हासिब ने गंदी नीयत से उसका एवं अयान ने उसकी बहन का हाथ पकड़ लिया। हाथ छुड़ाकर भागीं तो अभियुक्तगण ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। सहअभियुक्त हासिब कभी भी अपने दोस्त अयान, बिलाल एवं आवेदक अहम के साथ उसका रास्ता उसे अकेला पाकर रोक लेते थे। वह 2–3 महीने से परेशान थी। बात हद से ज्यादा बढ़ जाने पर हिम्मत कर घटना अपनी अम्मी और अब्बू को बताया। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना–नरसिंहगढ़ में आवेदक एवं सहअभियुक्तगण के विरूद्ध अप0क्रं0–555/2022 अंतर्गत धारा–341, 354, 354(क), 354(घ), 506, 34 भादवि, एवं धारा–8, 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचनाधीन है। विवेचना के दौरान आवेदक को दिनांक 27/09/2022 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। पुलिस प्रतिवेदन अनुसार सहअभियुक्त हासीब और बिलाल घटना दिनांक से फरार है, जिनकी तलाश जारी है। विवेचना जारी है। आवेदक को प्रतिभूति का अनुतोष दिया गया तो फरार हो जायेगा, साक्षीगण को डरायेगा, धमकायेगा, इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के होंसलें बुलंद होंगे। आमजनमानस का विश्वास पुलिस तथा न्यायिक प्रक्रिया के प्रति कमजोर होगा। अतः आवेदनपत्र निरस्त किया जाये।

आवेदक के विरूद्ध पीड़िता के साथ लैंगिक आशय से शारीरिक संपर्क कर लैंगिक हमला करने और लैंगिक उत्पीड़न करने के गंभीर प्रकृति के अभियोग हैं। पुलिस प्रतिवेदन अनुसार सहअभियुक्त हासीब और बिलाल घटना दिनांक से फरार है। विवेचना जारी है। प्रतिभूति का अनुतोष दिया गया तो इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के होंसलें बुलंद होंगे। वर्तमान में नरसिंहगढ़ क्षेत्र में बालकों पर लैंगिक हमले के अपराधों में वृद्धि हो रही है। अतः विद्वान अपर लोक अभियोजक के तर्क मंजूर किये जाते हैं। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक को

प्रतिभूति का अनुतोष दिया जाना विधिसंगत नहीं है।

अतः आवेदक फरमान उर्फ अहद खां का प्रतिभूति आवेदनपत्र अंतर्गत धारा–439 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की निशुल्क प्रतिलिपि एवं पुलिस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि आवेदक को प्रदाय किये जाने हेतु उसके अधिवक्ता को तत्काल प्रदान की जाये।

प्रकरण पूर्ववत अभियोगपत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक 11/10/2022 को प्रस्तुत हो।

SHASHI BHUSHAN SHARMA

Digitally signed by SHASHI BHUSHAN SHARMA
Location: Narsinghgarh
Date: 2022.10.01 14:46:48 +0530

(शशिभूषण शर्मा)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, म0प्र0